संख्या- 307 /2025/ 2762 /चार-2025-1969138

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर, 2025**

विषय:- दिनांक 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2025 तक "सेवा पखवाड़ा-2025" आयोजित किये जाने हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 301 /2025/ 2716 / चार-2025-1969138 दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा दिनांक 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2025 तक "सेवा पखवाड़ा-2025" आयोजित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. इस संबंध में दिनांक 02 अक्टूबर, 2025 को जनपद स्तर पर आयोजित गांधी जयन्ती कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ग की चित्रकला प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत किये जाने हेतु तीनो वर्गों में पृथक-पृथक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप क्रमशः रूपया 51,000/-, रूपया 21,000/- एवं रूपया 11,000/- की पुरस्कार राशि रूपया 2,49,000/- प्रति जनपद संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित जनपद की जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु 75 जनपदों में (रू0 2.49 लाख x 75 जनपद) कुल रू0 186.75 लाख की धनराशि वितरित की जाएगी।

3. प्रत्येक जनपद से प्रथम स्थान प्राप्त पेन्टिंग्स में से प्रत्येक वर्ग के लिए राज्य स्तर पर उत्कृष्ट तीन पेन्टिंग्स के पुरस्कारों हेतु प्रत्येक वर्ग के लिए राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार रूपया 2,00,000/- द्वितीय पुरस्कार रूपया 1,51,000/- एवं तृतीय पुरस्कार रूपया 1,00,000/- की धनराशि का निर्धारित किया गया है। इस हेतु तीन वर्गों में पुरस्कार वितरण हेतु (रू0 4.51 लाख x 03 वर्ग) रू0 13.53 लाख उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2025 तक "सेवा पखवाड़ा-2025" के अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिताओं हेतु **कुल धनराशि (रू0 186.75 लाख + रू0 13.53 लाख) रू0 200.28 लाख (रू0 दो करोड़ अट्ठाइस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

5. शर्तें/ प्रतिबंध:-

(1) स्वीकृत धनराशि में से रूपया 2.49 लाख प्रति जनपद की दर से जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी तथा रू0 13.53 लाख की धनराशि उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपलब्ध करायी गयी धनराशि का संकलित व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in